राजस्थान सरकार
वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 दिनांक 12.05.2020

परिपत्र

RTPP Act, 2012 की धारा–10 के अन्तर्गत सभी उपापन संस्थाओं हेतु उनके किये जाने वाले उपापनों के सम्बन्ध में निम्नांकित अभिलेख संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया है:–

(1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;

(ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;

(ग) धारा 29 की उप–धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;

(घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियां;

(ड.) बोली–पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;

(च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;

(छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;

(ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;

(झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी, जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो, ताकि पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या, यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए उप–धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तावेजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

इसी प्रकार RTPP नियम 2013 के नियम 79 के अन्तर्गत भी उपापन के सम्बन्ध में उपरोक्त धारा 10 में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नांकित दस्तावेजी अभिलेख उपापन संस्था को संधारण हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है:–

(क) बोली की कीमत सहित बोली लगाने वालों के नाम और पते और यदि बोली सशर्त है तो बोली की शर्तें;

(ख) उस कीमत सहित, जिस पर उपापन किया गया है, सफल बोली लगाने वाले का नाम और पता;

(ग) दर संविदा पद्धति के मामले में, उन बोली लगाने वालों के नाम और पते, जिनके साथ दर संविदा की गयी है;

(घ) बोली दस्तावेजों में किये गये उपातंरणों, यदि कोई हो, का सारांश;

(ड.) अपेक्षित अर्हता, अर्हता रखने वाले बोली लगाने वालों के ब्यौरे और कारणों सहित, अर्हित या अनर्हित बोली लगाने वालों के ब्यौरें;

(च) जहां कोई लिखित उपापन संविदा निष्पादित की गयी है, वहां दर संविदा को सम्मिलित करते हुए, संविदा की प्रति;

(छ) पैनलीकरण के मामले में, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें और करार, यदि कोई हो, की प्रति;

(ज) बोलियों के मूल्यांकन और तुलना का सांराश, लागू अधिमान की किसी सीमा सहित और किसी बोली को खारिज करने या विचार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए,

(झ) यदि उपापन प्रक्रिया रद्द की जाती है तो रद्दकरण के कारण।

परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त अभिलेखों का पूर्णतः संधारण नहीं किया जा रहा है, जो कि उक्त अधिनियम/नियमों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है। उपापन संस्थाओं का यह कृत्य विभिन्न स्तरों पर अंकेक्षण आक्षेपों के गठन का कारण बनता है तथा प्रचलित व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी को भी प्रदर्शित करता है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद् निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अधिनियम/नियमों की अनुपालना के दृष्टिगत समस्त वांछित अभिलेखों का आवश्यक रूप से संधारण किया जाना सुनिश्चित करावे।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

12/5/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 दिनांक 12.05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग